प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4064/1999

याचिकाकर्ता : बिंदेश्वरी सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण : केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, जबलपुर एवं अन्य

दिनांक 22 फरवरी, 2013 को आदेश की उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4064/1999

याचिकाकर्ता : बिंदेश्वरी सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण : **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, जबलपुर एवं अन्य**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति :- याचिकाकर्ता की ओर से : श्री वी.एन. तिवारी, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण की ओर से : श्री विनोद देशमुख, अधिवक्ता।

(दिनांक 22 फरवरी, 2013 को उद्घोषित)

(1) इस याचिका में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, जबलपुर (संक्षेप में "अधिकरण") द्वारा प्रकरण क्रमांक सी.जी.आई.टी./ एल.सी./आर/ 247/89 में पारित आदेश दिनांक 19-11-1998 (अनुलग्नक-पी/1) को चुनौती दी गई है, जिसमें अधिकरण ने विभागीय जांच को अवैध ठहराने के पश्चात, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्षियों का नए सिरे से परीक्षण किया तथा प्रति-परीक्षण की अनुमति देते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि पदच्युति का आदेश वैधानिक था और उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(2) संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, उत्तरवादीगण क्रमांक-2 की कालरी में मजदूर श्रेणी-I के रूप में कार्यरत था। याचिकाकर्ता को दिनांक 19/20-04-1987 को इस आरोप के साथ आरोप-पत्र तामील किया गया था कि "श्री एस.के. सक्सेना, प्रबंधक, एन.सी.पी.एच. कालरी द्वारा यह शिकायत किया गया है कि 19 अप्रैल, 1987 को सुबह 11:00 बजे जब

वे कंपनी के वाहन क्रमांक सी.आई.एल./9728 में चालक श्री अयोध्या प्रसाद के साथ मुख्य पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग पर बस स्टैंड, भैंसा दफाई से एन.सी.पी.एच. गेस्ट हाउस की ओर जा रहे थे और जब जीप एन.सी.पी.एच. गेस्ट हाउस मोड़ से कुछ मीटर पहले पहुँची, तब आप वहां बंदूक लेकर खड़े पाए गए और जैसे ही जीप आपके पास से गुजरी, आपने श्री सक्सेना पर गोली चला दी। आपने श्री सक्सेना की हत्या करने के आशय से उन पर गोली चलाई। उपरोक्त कृत्य प्रमाणित स्थायी आदेशों (सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स), जिससे आप शासित होते हैं, की धारा 17 (1) (द) के अनुसार गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो किसी वरिष्ठ या सहकर्मी को धमकाने, गाली देने या उन पर हमला करने के संबंध में प्रावधान करता है।"

(3) विभागीय जांच संपन्न की गई और उक्त जांच में आरोपों को प्रमाणित पाया गया। तदनुसार, आदेश दिनांक 22-01-1988 (अनुलग्नक-पी/3) द्वारा सेवा से पदच्युति की शास्ति अधिरोपित की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) याचिकाकर्ता पर दाण्डिक न्यायालय के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के प्रावधानों के अंतर्गत दाण्डिक अपराध का आरोप भी लगाया गया था। विचारण की समाप्ति के पश्चात, विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपराध कारित करने हेतु दोषसिद्ध किया और उसे 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दाण्डिक अपील क्रमांक 407/1989 प्रस्तुत की गई, जिसमें अधिरोपित दण्ड को निलंबित कर दिया गया था। तत्पश्चात, निर्णय दिनांक 01-09-1997 के द्वारा दाण्डिक अपील क्रमांक 407/1989 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया गया, जिसके स्थान पर याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 337 के अंतर्गत दोष सिध्द किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि याचिकाकर्ता को दो वर्ष के अच्छे आचरण के लिए 10,000/- रुपये का बंधपत्र निष्पादित करने पर परिवीक्षा पर रिहा किया जाए।

(5) सेवा से पदच्युति के विरुद्ध एक विवाद निम्नलिखित प्रश्न पर अधिकरण को संदर्भित किया गया था:

> "क्या एस.ई.सी.एल. के डूमर हिल समूह की खदानों के प्रबंधन द्वारा अपने कर्मकार श्री बिंदेश्वरी सिंह, आत्मज श्री भूरा सिंह को सेवा से पदच्युत करने

की कार्यवाही वैधानिक एवं न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का पात्र है?"

(6) अधिकरण ने यह निष्कर्ष देते हुए कि जांच त्रुटिपूर्ण थी, साक्षियों का परीक्षण किया तथा याचिकाकर्ता को नियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्षियों का प्रति-परीक्षण करने की अनुमति दी, और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित हुए थे, और तदनुसार, नियोजक द्वारा पारित पदच्युति के आदेश को कायम रखा। तदनुसार, आदेश दिनांक 19-11-1998 द्वारा श्रम विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किए गए निर्देश दिनांक 4-12-1989 को खारिज कर दिया गया।

(7) याचिकाकर्ता ने अधिकरण के निष्कर्ष को इस आधार पर भी चुनौती दिया है कि कथित अपराध कदाचरण की श्रेणी में नहीं आता है। दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर आधारित जांच न्यायोचित और उपयुक्त नहीं थी। चूंकि दण्ड निलंबित कर दी गई थी, इसलिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही नहीं करना चाहिए था। अधिरोपित दंड अत्यंत अनुपातहीन, कठोर और अत्यधिक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) याचिकाकर्ता ने अपने अभिवचनों में, जांच को अवैध घोषित किए जाने के पश्चात साक्ष्यों के परीक्षण के संबंध में अधिकरण की अधिकारिता पर प्रश्न नहीं उठाया है; तथापि, मौखिक तर्कों के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अन्य आपत्तियों का अधित्यजन करते हुए, जिसे उन्होंने अपने अभिवचनों में उठाया था, इसे ही मुख्य तर्क के रूप में प्रस्तुत किया।

(9) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तिवारी ने यह तर्क दिया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में "अधिनियम, 1947") की धारा 11(क) के परंतुक के अंतर्गत, अधिकरण को कदाचरण के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने या दंड को बदलने के लिए कोई भी नया साक्ष्य लेने से निषिद्ध किया गया है। अधिकरण साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है, लेकिन जब जांच को अवैध घोषित कर दिया गया हो, तब नए साक्ष्य दर्ज करना अनुज्ञेय नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि एक बार जांच अवैध ठहरा दी जाने के बाद, नया आरोप-पत्र जारी किए बिना कोई और जांच नहीं की जा सकती। विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय द्वारा ***चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर, कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य बनाम अनंत साहा एवं अन्य***[1] में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया।

(10) इसके विपरीत, उत्तरवादीगण क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देशमुख ने यह तर्क दिया कि अनुशासनात्मक जांच केवल याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि पर आधारित नहीं थी, बल्कि याचिकाकर्ता द्वारा कारित कदाचरण के आरोप पर भी आधारित थी। दाण्डिक विचारण और अनुशासनात्मक जांच दोनों भिन्न और सुस्पष्ट हैं। श्री देशमुख ने आगे यह तर्क दिया कि वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता पहले ही दोषसिद्ध हो चुका है और उचित जांच के पश्चात अधिकरण ने भी यह पाया है कि उसने स्थायी आदेश (स्टैंडिंग ऑर्डर) के प्रावधानों के अंतर्गत कदाचरण किया है। अधिकरण द्वारा जांच को त्रुटिपूर्ण या अवैध पाए जाने के बाद भी, दोनों पक्षों को साक्षियों के परीक्षण एवं प्रति-परीक्षण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान करना पूर्णतः न्यायोचित था।

(11) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिवचनों एवं उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

(12) स्थायी आदेश (स्टैंडिंग ऑर्डर्स) का खंड 24 कंपनी द्वारा नियोजन की समाप्ति से संबंधित है। खंड 26 कदाचरण के कृत्यों से संबंधित है। खंड 26.4, 26.8 और 26.18 निम्नानुसार पठित हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"26.4 अपने कार्यस्थल पर या कालरी/संस्थान या कंपनी की आवासीय स्थान पर जुआ खेलना, नशे की हालत में आना, झगड़ा करना, या दंगा करना या अभद्र व्यवहार करना।

26.8 आपराधिक मामला जिसमे चरित्र हीनता भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में किसी न्यायालय से दोषसिद्ध होना।

26.18 कार्य पर तैनात या सेवाकाल के दौरान ड्यूटी के दौरान किसी वरिष्ठ कर्मचारी, सहकर्मी या अधीनस्थ कर्मचारी के ऊपर हमला/हमले का प्रयास करना या धमकी देना या गाली देना ।"

अतः, याचिकाकर्ता का उपरोक्त कृत्य स्थायी आदेश में यथापरिभाषित 'कदाचरण' के दायरे में आता है।

(13) इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता का आचरण, जो जांच के साथ-साथ अधिकरण के समक्ष भी विचारणीय विषय था, कदाचरण का एक कृत्य था, जिसे पूर्वोक्त अनुसार स्थायी आदेश (स्टैंडिंग ऑर्डर) में परिभाषित किया गया है।

(14) अधिनियम, 1947 की धारा 11(क) श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों को कर्मकार की सेवोन्मुक्त या पदच्युति के मामले में उचित अनुतोष प्रदान करने की शक्ति प्रदान करती है।

(15) अधिनियम, 1947 की धारा 11(क) निम्नानुसार पठित है:

"11(क) कर्मकारों को सेवोन्मुक्त या पदच्युत करने की दशा में समुचित अनुतोष देने की श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों की शक्ति जहां किसी कर्मकार की सेवोन्मुक्ति या पदच्युति के संबंध में कोई औद्योगिक विवाद किसी श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित किया गया हो तथा, न्यायनिर्णयन की कार्यवाहियों के अनुक्रम में, यथास्थिति, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का समाधान हो जाए कि सेवोन्मुक्ति या पदच्युति का आदेश न्यायोचित नहीं है, वहां वह अपने अधिनिर्णय द्वारा सेवोन्मुक्ति या पदच्युति के आदेश को अपास्त कर सकेगा तथा कर्मकार के, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह ठीक समझे, पुनःस्थापन का निदेश दे सकेगा या कर्मकार को ऐसा अन्य अनुतोष जिसके अन्तर्गत सेवोन्मुक्ति या पदच्युति के बदले न्यूनतर दण्ड का अधिनिर्णय भी है, दे सकेगा जैसा कि मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित होः

परन्तु इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में, यथास्थिति, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण केवल उसी सामग्री पर निर्भर करेगा जो अभिलेख पर हो और उस विषय के संबंध में कोई नया साक्ष्य नहीं लेगा।"

(16) उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन मात्र से यह प्रतीत होता है कि श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण साक्षियों और दस्तावेजों का पुनः परीक्षण कर सकते हैं, तथापि, वे केवल अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का ही अवलंब लेंगे और उन्हें मामले के संबंध में कोई नया साक्ष्य लेने की अनुमति नहीं है।

(17) विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अधिनियम, 1947 की धारा 11(क) की व्याख्या अलग-अलग तरीके से की है। उच्चतम न्यायालय ने ***द वर्कमैन ऑफ मेसर्स फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया (प्रा.) लिमिटेड बनाम द मैनेजमेंट एवं अन्य*** तथा अन्य संबद्ध मामलों में पहली बार अधिनियम, 1947 की धारा 11(क) के प्रभाव और प्रयोज्यता पर विचार किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"48-49. परंतुक उन मामलों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें अधिकरण ध्यान में रखेगा और साथ ही उन मामलों को भी जिन्हें वह ध्यान में नहीं रखेगा। हमारे विचार में, परंतुक में प्रयुक्त पद 'अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियां' केवल उन्हीं सामग्रियों तक सीमित नहीं हो सकतीं जो विभागीय जांच के समय उपलब्ध थीं। इसके विपरीत, परंतुक में 'अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों' का अर्थ अधिकरण के समक्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों से लगाया जाना चाहिए। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(1) प्रबंधन द्वारा जांच के दौरान लिया गया साक्ष्य और जांच की कार्यवाही, या

(2) उपरोक्त साक्ष्य और इसके अतिरिक्त, अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया कोई भी अन्य साक्ष्य, या

(3) नियोक्ता द्वारा की गई कार्यवाही के समर्थन में पहली बार अधिकरण के समक्ष रखा गया साक्ष्य और साथ ही कर्मकार द्वारा इसके विपरीत प्रस्तुत किया गया साक्ष्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त मदों को मोटे तौर पर परंतुक में विनिर्दिष्ट 'अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री' माना जाना चाहिए। हम इस अभिव्यक्ति को केवल उस सामग्री तक सीमित करने के पक्ष में नहीं हैं जो विभागीय जांच में प्रस्तुत की गई थी। परंतुक केवल अधिकरण को सेवोन्मुक्त या पदच्युति के आदेश के औचित्य या अन्यथा पर विचार करते समय, ऊपर विनिर्दिष्ट उसके समक्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों तक ही सीमित रखता है। केवल उन्हीं सामग्रियों के आधार पर अधिकरण यह विचार करने के लिए बाध्य है कि क्या कदाचरण प्रमाणित हुआ है और आगे यह प्रश्न कि क्या प्रमाणित कदाचरण पदच्युति या सेवोन्मुक्त के दंड को न्यायोचित ठहराता है। यह अधिकरण को कदाचरण के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने या दंड को बदलने के लिए कोई नया साक्ष्य लेने से भी वर्जीत करता है; परंतुक से निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचना संभव नहीं है कि जब एक बार यह माना जाता है कि जांच या तो की ही नहीं की गई या वह त्रुटिपूर्ण है, तो अधिकरण द्वारा कर्मकार को बहाल करने का आदेश देना ही होगा। और न ही इसका यह अर्थ निकलता है कि परंतुक किसी नियोक्ता को पहली बार अधिकरण के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के उसके अधिकार से वंचित करता है। 'नया साक्ष्य' अभिव्यक्ति को उस संदर्भ में पढ़ा जाना

चाहिए जिसमें वह प्रकट होती है, अर्थात 'अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री' अभिव्यक्ति से भिन्न। यदि इस प्रकार पढ़ा जाए, तो परंतुक कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करता है।"

उपरोक्त प्रतिपादित विधि के सिद्धांत को बाद में ***राजेंद्र कुमार किंद्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, सचिव (श्रम) एवं अन्य****3* *और* ***नीता कपलीश बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय एवं अन्य****4* में अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया है।

(18) याचिकाकर्ता द्वारा ***टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम द वर्कमैन***[5] पर पर लिया गया अवलंब अनुचित है, क्योंकि उसमें शामिल प्रश्न अधिनियम, 1947 की धारा 11(क) की व्याख्या पर आधारित नहीं था, क्योंकि उक्त धारा 11(क) को अधिनियम 45, वर्ष 1971 की धारा 3 द्वारा (दिनांक 15-12-1971 से प्रभावी) अंतःस्थापित किया गया था।

(19) ***रस्टन एंड हॉर्न्सबी (I) लिमिटेड बनाम टी.बी. कदम****6* के मामले में, अधिनियम, 1947 की धारा 11(क) के प्रावधान विचाराधीन नहीं थे, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब किसी कर्मकार को विभागीय जांच के परिणामस्वरूप पदच्युत किया जाता है, तो श्रम न्यायालय के पास एकमात्र शक्ति यह विचार करने की होती है कि क्या जांच उचित थी और यदि ऐसा था, तो कोई और प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यदि जांच उचित नहीं थी, तो नियोक्ता और कर्मचारी को अपने साक्षियों के परीक्षण का अवसर दिया जाना आवश्यक था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(20) वर्तमान मामले में, जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा ***द वर्कमैन ऑफ मेसर्स फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया (प्रा.) लिमिटेड (उपरोक्त)*** में स्पष्ट किया गया है, अधिकरण ने उन नए साक्ष्यों पर विचार नहीं किया है जो अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री थे। 'अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री' का अर्थ उस दस्तावेजी साक्ष्य से है जो नियोक्ता के पास उपलब्ध था। यदि उसे जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं भी किया गया था और वह सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध थी, तो अधिनियम, 1947 की धारा 11-(क) के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकरण द्वारा उसका परीक्षण किया जा सकता था। वर्तमान मामले में, अधिकरण ने नई सामग्री के आधार पर अभिलेख पर मौजूद किसी दस्तावेजी साक्ष्य का परीक्षण नहीं किया है, बल्कि सामग्री के आधार पर साक्षियों का परीक्षण किया है, जो अधिनियम, 1947 की धारा 11(क) के परंतुक के अंतर्गत अनुज्ञेय नहीं है।

(21) **ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 9वें संस्करण** में "साक्ष्य" शब्द को ऐसी वस्तु (जिसमें अभिकथन, दस्तावेज और भौतिक वस्तुएं शामिल हैं) के रूप में परिभाषित किया गया है, जो किसी कथित तथ्य के अस्तित्व को प्रमाणित या अप्रमाणित करने की प्रवृत्ति रखती है। "साक्षी" शब्द को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो कुछ देखता है, जानता है या किसी बात की पुष्टि करता है, तथा जो शपथ या प्रतिज्ञान के अधीन अभिकथन करता है। अभिलेख पर उपलब्ध अभिकथन का नए सिरे से परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन विधि के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत परीक्षण के प्रयोजन के लिए साक्षियों को 'अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री' नहीं माना जा सकता है।

(22) याचिकाकर्ता द्वारा ***अनंत साहा (उपरोक्त)*** के मामले में लिया गया अवलंब वर्तमान मामले के तथ्यों में सुसंगत नहीं है, क्योंकि ***अनंत साहा (उपरोक्त)*** में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रश्न अधिनियम, 1947 की धारा 11(क) की व्याख्या पर आधारित नहीं था।

(23) वर्तमान मामले में, जांच प्रतिवेदन को त्रुटिपूर्ण और अवैध पाया गया था। अधिकरण ने नियोक्ता के 'अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री' के आधार पर साक्ष्यों के बजाय साक्षियों का परीक्षण करके निर्णय को बदल दिया है। अतः, अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दूषित है।

(24) याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसे दाण्डिक मामले में दोषमुक्त कर दिया गया था, तथ्यात्मक रूप से गलत है। अपीलीय न्यायालय में, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपराध से बदलकर धारा 337 के अंतर्गत कर दिया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे दोषमुक्त कर दिया गया था। उसे परिवीक्षा पर रिहा किया गया था। वैसे भी, विभागीय कार्यवाही और दाण्डिक विचारण दोनों अलग-अलग आधारों पर आधारित होते हैं।

(25) दाण्डिक विचारण में दोषसिद्धि कठोर प्रमाण पर निर्भर करती है और संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त के पक्ष में दिया जाता है; हालाँकि, विभागीय कार्यवाही कठोर प्रमाण पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि संभावनाओं पर आधारित होती है, जिसमें इस तथ्य को ध्यान में रखा जाता है कि क्या कर्मचारी संविधि के अंतर्गत परिभाषित कदाचरण करने के बाद सेवा में बने रहने के योग्य है।

(26) उपरोक्त कारणों और विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 19-11-1998 (अनुलग्नक--पी/1) को अभिखंडित किया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जाता है। यह आदेश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को सभी पारिणामिक लाभों के साथ सेवा में बहाल किया जाए।

(27) परिणामस्वरूप, रिट याचिका 5,000/- रुपये के व्यय के साथ स्वीकार की जाती है जिसका भुगतान छह सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को किया जाएगा ।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by : Ashwani Shukla, Advocate